न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–22/2011 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2011/00092

उनवान

1. पठान सिंह
2. गजन सिंह
3. राजवीर सिंह
4. धीरज सिंह
5. योगेन्द्र सिंह

} पिसरान नत्थीलाल कौम ठाकुर निवासी ग्राम दुल्हारा तह0 मनियॉ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. लौंगश्री पुत्री चिरौंजी पत्नी थान सिंह जाति ठाकुर निवासी चितौरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दिनांक 31.10.2011 उनवानी नत्थी बनाम लौंगश्री प्र0स0 69/2005

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री राजेन्द्र सिंह राना उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–22.03.2022

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 31.10.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी/रैस्पो0 लौंगश्री द्वारा एक दावा उनवानी लौंगश्री बनाम नत्थी प्रस्तुत किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय तौर पर

डिक्री कर दिया था तथा डिक्री की पालना में मुताबिक डिक्री इन्द्राज दर्ज कर दिये गये। प्रार्थी/अपीलाण्ट ने उक्त एक पक्षीय डिक्री के विपरीत न्यायालय हाजा में अपील, संख्या 87/2000 उनवानी नत्थी बनाम लौंगश्री प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 17.05.2005 को स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुये, पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गयी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त डिक्री के अनुपालना में वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किये जाकर डिक्री से पूर्व की स्थिति के इन्द्राजो को बहाल करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पौ0 हाजिर अदालत नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये, बहस अपीलांट एक पक्षीय सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्व0 नत्थी का प्रार्थना पत्र केवल पूर्व के इन्द्राजो की पुर्नस्थापना के लिये लम्बित था जो कि दावा या अपील की श्रेणी में नहीं आता। वास्तव में कानूनन पूर्व के इन्द्राजो की पुर्नस्थापना की कार्यवाही न्यायालय की बाउण्डेड ड्यूटी में आता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश करने के लिये अपीलाण्ट्स या उनके स्व0 पिता पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में पुर्नस्थापना के प्रकरण में आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के लिये निर्धारित अवधि 90 दिन लागू नहीं होती। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 90 दिन का समय लागू करके अपीलाण्ट्स के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 पक्ष की ओर से अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब तक प्रस्तुत नहीं किया। परन्तु इस बिन्दु को भी अनदेखा करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 144 पूर्व के इन्द्राजो की पुर्नस्थापना के लिये लगाया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी नत्थी का देहान्त होने पर उनके वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 पर सुनवाई करते हुये, प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 देरी से प्रस्तुत करने के कारण अवेट में खारिज करते हुये फलस्वरूप प्रार्थना पत्र 144 जा0दी0 को भी खारिज कर दिया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने

प्रार्थना पत्र 144 जा0दी0 पर गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है। हमने गौर किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डीएनजे 2011 पेज 1067 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 के प्रार्थना पत्र में जहॉ एक ही वादी है, प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है, तो ऐसा आदेश डिक्री ना होने के कारण अपीलीय ना होकर रिवीजन के काबिल है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट संधारणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य समझते हैं। अपीलाण्ट चाहे तो रिवीजन से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 31.10.2011 यथावत रखे जातें हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.03.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर